The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 1 | Issue 3 | October 2023
ISSN: 2583-973X
Website: www.theacademic.in

महिला शिक्षा की स्थिति एंव चुनौतियॉ उत्तराखण्ड के विशेष संन्दर्भ में

गणेश गिरी
शोधार्थी राजनीति विज्ञान
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा
Mail Id- ganeshgoswami267@gmail.com

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Article History
Received : September 07, 2023
Accepted : September 27, 2023

Keywords :
आत्मनिर्भरता, विकास, शिक्षा, उत्थान

ABSTRACT

भारत ग्राम प्रधान देश है। अपनी आर्थिक असमर्थता के कारण ही ग्रामीण अभिभावक अपनी लड़कियों के लिये शिक्षा के साधन को जुटाने की बात का कभी विचार ही नहीं करते हैं। यह हर्ष का विषय है कि सरकार ग्रामोद्योगों के विकास, कृषिकी उन्नति, परिवहन की व्यवस्था आदि कार्यों द्वारा ग्रामीणों के आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने की चेष्टा कर रही है। समाज–शिक्षा द्वारा उनके दृष्टिकोण को विस्तृत कर रही है। परंतु जिस बात का अभाव खटक रहा है, वह यह है कि सरकार द्वारा कोई इस प्रकार का संगठित आन्दोलन नहीं किया जा रहा है, जिससे ग्राम निवासियों की रूढ़िवादिता, धार्मिक कट्टरता, स्त्री–शिक्षा, बाल विवाह तथा विवाह की अनुचित धारणाओं में आमूल–चूल परिवर्तन हो जाये। जब तक सरकार इस दिशा में पग नहीं उठायेगी, तब तक विकास–योजनाओं द्वारा ग्रामीणों का आर्थिक स्तर उच्च करके भी कोई विशेष लाभ नहीं होगा। अतः सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उचित कार्यक्रमों का निर्माण करके ग्राम–निवासियों की आर्थिक उन्नति के साथ–साथ उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक प्रगति की ओर भी विशेष ध्यान दें। ग्रामीणों की सर्वेतोमुखी उन्नति करके ही स्त्री–शिक्षा के प्रति उनके संकुचित दृष्टिकोण को परिवर्तित किया जा सकता हैं।

प्रस्तावना–

प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा का कितना प्रसार था और उनका संगठन किस प्रकार था। इन बातों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त साधन उपलब्ध नहीं है। निःसंदेह इस युग में मैत्रेयी गार्गी, विश्ववरा एवं लीलावती के समान उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएँ थी, परन्तु इनकी शिक्षा का विचार करके यह विचार तर्क रहित होगा कि उस समय स्त्री शिक्षा का पर्याप्त प्रचलन था। एल. मुखर्जी का कथन है कि – ''क्योंकि ये सब महिलायें या तो स्वयं शिक्षित विद्वानों की पत्नियाँ अथवा पुत्रियाँ थी, अतः संभवतः उनको अपने शिक्षित पतियों अथवा पिताओं द्वारा शिक्षा दी गई थी और यह संभव है कि इस युग में स्त्रियों के लिए शिक्षा की कोई संगठित व्यवस्था नहीं थी। परन्तु हमारे पास इस संबंध में निश्चित प्रमाण नहीं है।''

मुस्लिम युग में स्त्री शिक्षा :– मुस्लिम युग में पर्दा प्रथा का विशेष प्रचलन था और हिन्दु तथा मुस्लिम दोनों ही इस प्रथा के अनुयायी थे। साथ ही इस युग के हिन्दुओं ने सामाजिक सुरक्षा के विचार से बाल विवाह की प्रथा भी प्रचलित कर दी थी। इन दोनों प्रथाओं के फलस्वरूप यदा–कदा अल्प आयु की कुछ बालिकायें मस्जिदों से संलग्न मकतबों में जाकर प्रारंभिक शिक्षा तो प्राप्त कर लेती थी परंतु वे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती थी फिर भी इस युग में बिदुषी नारीयों का अभाव नहीं था।

आधुनिक युग में स्त्री शिक्षा का विकास अंग्रेजों के आगमन के उपरांत पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति के प्रसार के साथ–साथ नारी की सामाजिक स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन होने प्रारंभ हुए। आधुनिक युग में पाश्चात्य प्रभाववश सभ्यता के नये प्रकाश में नारी जाति ने एक करवट ली। जागरूक पुरूषों ने नारी के वास्तविक महत्व को पहचाना, नारी भी अपनी गिरी दशा के प्रति सचेष्ट हुई और इसका परिणाम यह हुआ कि आधुनिक युग नारी–जागरण का युग बन गया। इस क्रांति के बावजूद भी अत्याचारी पुरूष वर्ग नारी की शिक्षा का विरोध कर उल्लहास करता है, स्त्री–शिक्षा से स्त्रियों की दशा में सुधार होने में सबसे अधिक योगदान मिलेगा। इससे स्त्रियाँ अपने अधिकार पहचानेगी और उनको पूर्णतया प्राप्त करने तक उनके लिए संघर्ष करती रहेंगी। ocial Disorganization नामक पुस्तक में इलियट और मैरिल (Elliott and Merrill) ने स्त्रियों की उच्च शिक्षा के विषय में लिखा है ''जो लड़की पति के बराबर शिक्षा प्राप्त कर लेती है वह अशिक्षित

पत्नी से बिल्कुल भिन्न प्रकार की पत्नी होगी, वह पारिवारिक प्रश्नों के निर्णय में अपनी सम्पत्ति पर जोर देने लगेगी।''

स्त्री शिक्षा की समस्याएँ – आज स्त्री शिक्षा के मार्ग को जिन कठिनाइयों अथवा समस्याओं के अवरुद्ध कर रखा है, उनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है –

1. रूढ़िवादिता
2. अशिक्षा
3. धार्मिक कट्टरता
4. शिक्षा की अनुचित धारणा
5. विवाह की अनुचित धारणा
6. बाल–विवाह एवं पर्दा–प्रथा
7. ग्रामीण क्षेत्रों की अविकसित दशा
8. सरकार की उदासीनता
9. जनता की निर्धनता
10. बालिका–विद्यालयों का अभाव
11. शिक्षा में अपव्यय
12. अध्यापिकाओं का आभाव
13. दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन
14. अनुपयुक्त पाठ्यक्रम

स्त्री शिक्षा की समस्याओं के समाधान एवं प्रसार के प्रति सरकार के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व तो हैं ही, पर उनमें भी अधिक जनता के है। सरकार की योजनाएँ कितनी ही सुन्दर क्यों न हों, उनका निर्माण एवं कार्यान्वयन कितना ही कुशल तथा विचारपूर्ण क्यों न हो, पर यदि उनको जनता का सहयोग नहीं प्राप्त होगा, तो उनकी सफलता की आशा करना उसी प्रकार व्यर्थ होगा जिस पर एकाकी प्रयास एवं परिश्रम से एक विशाल मरुस्थल को लहलहाते उद्यान में परिणत करने की आशा। अतः जनता का कर्तव्य है कि यह न केवल स्त्री–शिक्षा–प्रसार की सरकारी योजनाओं को पूर्ण एवं

हार्दिक सहयोग प्रदान करे, अपितु भारतीय शिक्षा के इस अवयव को, जिसे अभी तक अधूरा एवं उपेक्षित छोड़ दिया गया है, पुष्ट करने की स्वयं भी प्राणप्रण में चेष्टा करें। जनता का यह परम पुनीत कर्तव्य है कि वह इसी क्षण में स्त्री–शिक्षा के आन्दोलन में जुट जाये और उसमें स्फूर्ति का संचार कर दें। परन्तु जनता इस कार्य को सफलतापूर्वक तभी सम्पन्न कर सकेगी, जब वह पुरानी परिपाटियों का आँख मूँद कर अनुसरण करना समाप्त कर दें। उसे स्त्री–शिक्षा के प्रति चिर–काल से विरासत में प्राप्त होन वाले अपने संकुचित दृष्टिकोण को पूर्णतया परिवर्तित कर देना चाहिये। उसे अपनी रूढ़िवादिता, धार्मिक कट्टरता तथा बालिकाओं की शिक्षा एवं विवाह की अनुचित धारणा को समूल उखाड़ फेंकना चाहिये। उसे यह समझ लेना चाहिए कि बालिकाओं की शिक्षा का भार उसी के कंधों पर हैं। उसे अपने मानस–पटल पर यह बात स्पष्ट शब्दों में अंकित कर लेनी चाहिये कि प्रजातन्त्र की माँग और उसकी चुनौती को स्वीकार करने के लिये स्त्रियों को कम से कम सम्भव समय में शिक्षित करना चाहिए।

निष्कर्ष – सारांश में यह आवश्यक है कि जनता सरकार की उन समस्त योजनाओं में तन, मन, धन से योग दें, जिन्हें सरकार स्त्री–शिक्षा की प्रगति के लिये कार्यान्वित कर रही है। जिन व्यक्तियों पर कुबेर की कृपा है, उन्हें उदार ह्रदय से स्त्री–शिक्षा का प्रसार करने के लिये धन द्वारा सहायता करनी चाहिये। जो व्यक्ति इस स्थिति में नहीं है, उन्हें अन्य प्रकार से स्त्री–शिक्षा की लोकप्रियता में वृद्धि करने का अनवरत् प्रयास करना चाहिये। यदि भारत की सम्पूर्ण जनता स्त्री–शिक्षा के आन्दोलन में संलग्न हो जाये, तो हम निस्संकोच कह सकते है कि अल्प समय में ही देश का कौन–कौन स्त्री–शिक्षा से आलोकित हो जायेगी।

सन्दर्भ सूची–

1. भसीन अमीन, विश्व में महिला अधिकारों की स्थिति, प्रतियोगिता दर्पण, आगरा नवम्बर 2023 पृ0 701
2. श्रीवास्तव, अंजना, महिला षिक्षा तथा कानून, 12।ए चतुर्थ तल, रमन टावर आगरा, राखी प्रकाशन प्रा.लि. (2016)
3. दुबे मनीष कुमार, शर्मा अंशु, शारीरिक शिक्षा स्वास्थय एवं योग, 12।ए चतुर्थ तल, रमन टावर,

4. संजय प्लेस आगरा 282002, राखी प्रकाषन प्रा.लि. (2016)
5. पाण्डे रेणु, कार्की निधि, विविधता समावेषित शिक्षा और जेण्डर, 12।ए चतुर्थ तल, रमन टावर,
6. संजय प्लेस आगरा 282002, राखी प्रकाषन प्रा.लि. (2016)
7- शर्मा अंजलि, भार्गव महेष, समावेषी षिक्षा एवं विषिष्ट आवष्यकता वाले बच्चों की शिक्षा निर्देषन एवं परामर्ष, 12।ए चतुर्थ तल, रमन टावर, संजय प्लेस आगरा 282002, राखी प्रकाशन प्रा.लि. (2016)